राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 864/2016/जोधपुर

मैसर्स स्टेण्डर्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी
रातानाड़ा, जोधपुर ...अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लिजींग टैक्स, जोधपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री पी. एम. चोपड़ा
अभिभाषक ...अपलार्थी की ओर से

श्री डी. पी. ओझा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 7/6/17

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर प्रथम (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 07/आरवैट/जेयूए/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लिजींग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए आदेश दिनांक 25.02.2015 को पारित करते हुए क्रय कर रूपये 1,93,656/– रिवर्स आई.टी.सी. रूपये 1,94,530/– एवं विलम्ब शुल्क रूपये 20,000/– आरोपित कर कुल रूपये 4,08,186/–की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने विलम्ब शुल्क को यथावत रखते हुए शेष बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी संविदा/ठेका कार्यरत पंजीकृत व्यवसायी है। अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार होने के कारण उसका त्रैमासिक कर दायित्व है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2012–13 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के वैट–10 विभागीय वैबसाईट पर इलेक्ट्रॉनिकली देरी से, क्रमशः दिनांक 10.02.2014, 10.02.2014, 10.02.2014 एवं 10.02.2014 को, अपलोड कर हार्डकॉपी की पावती रसीद कार्यालय में, क्रमशः दिनांक 10.02.2014, दिनांक 10.02.2014, दिनांक 10.02.2014 एवं दिनांक 10.02.2014 को, देरी से बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19ए (iii) के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क रू. 50/–प्रति दिवस अधिकतम रू. 5000/–प्रति तिमाही से चारों तिमाहियों के लिए कुल रू. 20,000/–अधिरोपित की।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट–10 में क्लेम आई टी सी रू. 1,94,530/–राजविस्टा से मिसमैच पाये जाने के कारण उसका समायोजन प्रदान नहीं किया गया। ठेका कार्यों में प्रयुक्त माल अपंजीकृत व्यवसायियों से 5 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत की दर से माल की खरीद करना मानते हुए क्रय कर रू. 1,93,635/–आरोपित किया गया।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार से पारित आदेश दिनांक 25.02.2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिरोपित विलम्ब शुल्क को यथावत रखते हुए आई टी सी एवं क्रय कर के बिन्दु पर प्रकरण कर निंर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने स्थिर दिमाग एवं खुली आंखों से कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया है,इसलिए अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री विवरण पत्रों के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो विधि शून्य है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना विहित नोटिस जारी किये और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही देरी से रिटर्न प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब शुल्क आरोपित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वैट–7ए में क्लेम की गई आई टी सी सत्यापन की शर्त पर स्वीकार किया जाकर इसका समायोजन अग्रिम जमा के पेटे दिया गया है, किन्तु बिना किसी आधार के आई टी का समयोजन न दिया जाना विधि विरूद्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस जारी किये यह मान लिया कि उन व्यवहारियों ने कर जमा नहीं कराया और उनके द्वारा आई टी सी रिवर्स कर दी गई। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा कोई सूची जारी नहीं की कि अमुक व्यवहारियों ने कर जमा नहीं कराया है। उनका यह भी कथन है कि व्यवहारी ने माल खरीद पर कर वैट इनवाईस प्राप्त की है जिससे प्रमाणित होता है कि संव्यवहार वास्तविक (genuine) है। उन्होंने कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी एक ठेकेदार है एवं ठेकेदार मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि एक ठेकेदार होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इन्हें धारा 8(3) के तहत् घोषित किया है क्योंकि व्यवहारी की ओर से कर अवार्डर द्वारा उसको भुगतान किये जाने पर उसके बिलों से कर की कटौती कर विभाग में जमा करवाया जाता है। नियम 19(A) के तहत् विवरणी की विलम्बता पर ऐसे व्यवसाईयों को मासिक करदाता न मानते हुए अधिकतम 19(A)(3) के तहत्

शास्ति रूपये 5000/– से अधिक आरोपित नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 457/2015/जोधपुर मैसर्स ओम कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स,शास्त्री नगर, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 को उद्धृत किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई व उपलब्ध रिकॉर्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से पाया जाता है कि मिसमैच के सम्बन्ध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर के द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ. 16(100)टैक्स/सीसीटी/14–15/2782 दिनांक 21.102914 के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात बाद जांच/सत्यापन के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत सत्यापित आई टी सी का समयोजन प्रदान करें एवं अस्वीकृत/आस्थगित आई टी सी के सम्बन्ध में कारण सहित विवेचना के नये सिरे से अभिनिर्धारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः इस बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवसायी एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत व्यवसायी है अपीलार्थी व्यवसायी मासिक कर दाता की श्रेणी में सम्मिलित होने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19A(iii) के अनुसार अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 5000/– ही आरोपणीय है अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रूपये 5000/– का विलम्ब शुल्क की सीमा तक पुष्टि करते हुए अवशेष शुल्क अपास्त किया जाता है। ऐसा ही मत कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 457/2015/जोधपुर मैसर्स ओम कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स,शास्त्री नगर, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 में प्रतिपादित किया गया है। अतः विलम्ब शुल्क के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

उपर्यक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य